रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06092021-229448
CG-DL-E-06092021-229448

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 502] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 6, 2021/भाद्र 15, 1943
No. 502] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 6, 2021/BHADRA 15, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर , 2021

सा.का.नि. 616(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 144ख की उपधारा (7) के खंड (i) के उपखंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (छब्बीसवां संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में, नियम 14ख के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'**14ग. धारा 144ख की उपधारा (7) के खंड (i) के उपखंड (ख) के अधीन इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अधीन इलैक्ट्रानिक अभिलेख के अधिप्रमाणन की विहित रीति.—**धारा 144ख की उपधारा (7) के खंड (i) के उपखंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, जहां कोई निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति, आय-कर विभाग के पदाभिहित पोर्टल में अपने रजिस्ट्रीकृत खाते में लॉग करके, इलैक्ट्रानिक अभिलेख प्रस्तुत करता है, वहां यह समझा जाएगा कि इलैक्ट्रानिक अभिलेख, इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अधीन अधिप्रमाणित कर दिया गया है।

स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "पदाभिहित पोर्टल" का वही अर्थ होगा, जो धारा 144ख के नीचे स्पष्टीकरण के खंड (i) में उसका है ।'।

[अधिसूचना सं. 101/2021/फा. सं. 370142/35/2021-टीपीएल (भाग 1)]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 612(अ), तारीख 02 सितंबर, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2021

G.S.R. 616(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (i) of sub-section (7) of section 144B read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Income-tax (26th Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, after rule 14B, the following rule shall be inserted, namely:—

'14C. **Prescribed manner of authentication of an electronic record under electronic verification code under sub-clause (b) of clause (i) of sub-section (7) of section 144B.-** For the purposes of sub-clause (b) of clause (i) of sub-section (7) of section 144B, where an assessee or any other person submits an electronic record by logging into his registered account in designated portal of the Income-tax Department, it shall be deemed that the electronic record has been authenticated under electronic verification code.

***Explanation*.-** For the purposes of this rule, "designated portal" shall have the same meaning as assigned to it in in clause (i) of the *Explanation* below to section 144B'.

[Notification No. 101 /2021/F.No. 370142/35/2021-TPL (Part-I)]

SHEFALI SINGH, Under Secy., Tax Policy and Legislation

Note : The principal rules were published *vide* notification S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification GSR 612(E), dated the 02nd September, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.09.06 22:25:55 +05'30'